न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–98/11 **दायरा दिनांकः–05/07/2011**

1. हरीराम पुत्र भैरीया उर्फ भैराराम पुत्र पूर्णराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1–लिछमा पुत्री
1/2–भागीरथ पुत्र
1/3–रूकमा पुत्री
1/4–रजमोदेवी पुत्री
1/5–रूपाराम पुत्र
1/6–बिरमा पुत्री

हरीराम अकवाम मेघवाल निवासीयान ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2. किशनाराम
3. बीरबलराम
4. भादरराम
5. लेखराम
6. धन्नाराम

पुत्रगण भेरीया उर्फ भैराराम पुत्र पूर्णराम जाति चमार (मेघवाल) निवासीयान ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम्

1. ताराचन्द
2. हजारीराम
3. सुरजाराम

पुत्रगण लालू उर्फ लालीया पुत्र पूर्णराम अकवाम चमार (मेघवाल) निवासीयान 23 बी.बी. पूरानी बेरीया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. भगवानाराम पुत्र लालू उर्फ लालीया (मृतक)
   4/1–पदम बेवा भगवानाराम पुत्र लालू उर्फ लालीया जाति चमार (मेघवाल) निवासी पुरानी बेरां मण्डी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. सन्ती देवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी हेमाराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी चक 67 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. उमादेवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी सुखराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी चक 67 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. लीलादेवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी माडुराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी बारेंका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. उदी देवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी ना.मालूम निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
10. उप पंजीयक सूरतगढ़।

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणात्मक, इस्तकरार हक एवं चिरस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 188, 207, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1–भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट अभिभाषक वादीगण।
2–सुभाषचन्द्र अभिभाषक प्रतिवादी नं. 1 ता 3, 6 व 8।
2–पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 31.08.2020

पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके रोही ठेठार जमाबन्दी

..... 2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:58:32 IST
Reason: SelfAttested

सम्वत 2063–2066 के खाता संख्या 62/63 के खसरा नं. 20 का 3.352 है0 व चक 3 टी टी ए की जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 के खाता संख्या 58/54 के प0 न0 191/1, 171/57, 171/58, 191/2, 191/10, 191/11, 191/03 की कुल 12.575 है0 में 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिकुल कब्जा के आधार पर प्रतिवादी नं. 1 ता 8 के पिता व ससुर के नाम से हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे व वादीगण के कब्जाकाश्त में प्रतिवादीगण मदालखत बेजा न करें। वाद–पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया वादी संख्या 1 हीराराम वल्द भैराराम जाति मेघवाल साकिन ठेठार द्वारा दिनांक 02/08/2011 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी वाद पत्र मेरे नाम से दिया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई वाद पत्र श्रीमान जी अदालत में प्रस्तुत किया गया है और ना ही कोई अगुंठा लगाया है और ना ही प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहा है व निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम वाद पत्र से हटाया जावे प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3, 6 व 8 की तरफ से सुभाष चन्द्र बिश्नोई एडवोकेट ने उपस्थित होकर दिनाक 05/10/2011 को अण्डरटेकिंग दी दिनांक 22/11/2011 का वकालतनामा पेश नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई दिनांक 14/2/2012 को वकील प्रतिवादी द्वारा आदेश 9 नियम 7 प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर वास्ते जवाब दावा व शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतू पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु निहित की गई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने पर साक्ष्य वादीगण लिये गए दिनांक 16/09/2015 को प्रतिवादीगण द्वारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी सं. 1 द्वारा दिनांक 02.08.2011 को पेश कर निवेदन किया कि ना ही मुझ प्रार्थी के हस्ताक्षर है और ना ही कोई कार्यवाही चाहता है उक्त प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न तो है लेकिन फर्द अहकाम पर लिया जाकर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाकर वाद पत्र खारीज किया जावे दिनांक 04/02/2016 को उभय पक्ष को 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया व वकील वादी को आदेश दिया गया की वह संसोधित वाद पत्र प्रस्तुत करें संसोधित वाद पत्र प्रस्तुत होने पर जवाब दावा बन्द होने पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण का जैरवाद भूमि रोही ठेठार जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 के खाता संख्या 62/63 के खसरा नं. 20 का 3.352 है0 व चक 3 टी टी ए की जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 के खाता संख्या 58/54 के प0 न0 191/1, 171/57, 171/58, 191/2, 191/10, 191/11, 191/03 की कुल 12.575 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि पर पिछले 50 वर्षों से लगातार कब्जाकाश्त होने के प्रतिकुल कब्जा के आधार पर वादीगण जैरवाद रकबा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के हकदार है ? (वादीगण)
2. आया जैरवाद रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे? (वादीगण)
3. आया वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के हकदार है कि वे वादीगण के कब्जाकाश्त में मदालखत बेजा नहीं करे?वादीगण
4. अन्य अनुतोष ?

तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य लिया जाकर बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि जैरवाद रकबा पिछले 50 वर्षों से वादीगण के कब्जाकाश्त में है इसलिए वादीगण प्रतिकुल कब्जा के आधार पर जैरवाद रकबा अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन हकदार है कानून नजीर आर.आर.टी. 2009(1) पृष्ठ सं. 369 बनवार सिंह व अन्य बनाम चन्द्रा व अन्य व आर आर डी 1991 बाघा बनाम सुरेन्द्रसिंह प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील प्रतिवादी द्वारा एतराज करते हुए निवेदन किया कि वादीगण का कब्जा नहीं है प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा सहकाश्तकार है सहकाश्तकार के विरूद्ध कब्जा का कोई प्रशन ही पैदा नहीं होता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कहीं भी कब्जे के आधार पर दावा डिक्री करने का प्रावधान नहीं है वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

3 पर लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:58:32 IST
Reason: SelfAttested

किया गया जिससे यह साबित हो कि कब्जा वादीगण का है इसलिए वाद पत्र खारीज किया जावे अपने पक्ष में कानूनी नजीर आरबीजे 2018 पृष्ठ सं. 595 सुरज वगैरा बनाम अमरतीलाल वगैरा व आरआरटी 2018(1) पृष्ठ संख्या 434 सुर्य मीणा बनाम ग्राम पंचायत व अन्य प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र खारीज किया जावे।

बहस का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या 1 आया वादीगण का जैरवाद भूमि रोही ठेठार जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 के खाता संख्या 62/63 के खसरा नं. 20 का 3.352 है0 व चक 3 टी टी ए की जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 के खाता संख्या 58/54 के प0 न0 191/1, 171/57, 171/58, 191/2, 191/10, 191/11, 191/03 की कुल 12.575 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि पर पिछले 50 वर्षों से लगातार कब्जाकाश्त होने के प्रतिकुल कब्जा के आधार पर वादीगण जैरवाद रकबा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के हकदार है

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि पिछले 50 वर्षों से जैरवाद रकबा का कब्जाकाश्त वादीगण का था व वकील वादीगण द्वारा जो कानूनी नजीर पेश की है वो उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होने के कारण लागू नहीं होती है वादीगण द्वारा जो जमाबन्दी पेश की है उसमें प्रतिवादीगण व उनके वशंजों का नाम अंकित है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे माननीय सर्वोच न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर अपने निर्णयों में भी इसी प्रकार का सिद्धान्त लागू किया है जो वकील प्रतिवादी द्वारा कानूनी नजीर पेश की है जो उक्त प्रकरण पर चस्पा होने के कारण लागू होती है इसलिए उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया जाता है।

तनकी सं. 2 आया जैरवाद रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था जो तनकी संख्या 1 वादीगण द्वारा सिद्ध नहीं करने पर उनके खिलाफ की जा चुकी है इसलिए उक्त तनकी का निर्णय भी वादीगण के खिलाफ किया जाता है।

तनकी संख्या 3 आया वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी करवाने के हकदार है कि वे वादीगण के कब्जाकाश्त में मदालखत बेजा नहीं करे

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर साबित होता है कि प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है इसलिए सहकाश्तकार के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी नही की जा सकती। इसलिए उक्त तनकी का निर्णय भी वादीगण के खिलाफ किया जाता है।

उक्त विवेचना अनुसार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादीगण द्वारा मांगा गया अनुतोष का प्रावधान नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारीज किया जाता है डिकी जारी हो। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:58:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत –सहायक जिलाधीश एव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास –मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवानः–

1. हरीराम पुत्र भैरीया उर्फ भैराराम पुत्र पूर्णराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1–लिछमा पुत्री
   1/2–भागीरथ पुत्र
   1/3–रूकमा पुत्री
   1/4–रजमोदेवी पुत्री
   1/5–रूपाराम पुत्र
   1/6–बिरमा पुत्री
   } हरीराम अकवाम मेघवाल निवासीयान ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. किशनाराम
3. बीरबलराम
4. भादरराम
5. लेखराम
6. धन्नाराम

} पुत्रगण भेरीया उर्फ भैराराम पुत्र पूर्णराम जाति चमार (मेघवाल) निवासीयान ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....**वादीगण**

बनाम्

1. ताराचन्द
2. हजारीराम
3. सुरजाराम

} पुत्रगण लालू उर्फ लालीया पुत्र पूर्णराम अकवाम चमार (मेघवाल) निवासीयान 23 बी.बी. पूरानी बेरीया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. भगवानाराम पुत्र लालू उर्फ लालीया (मृतक)
   4/1–पदम बेवा भगवानाराम पुत्र लालू उर्फ लालीया जाति चमार (मेघवाल) निवासी पुरानी बेरां मण्डी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. सन्ती देवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी हेमाराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी चक 67 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. उमादेवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी सुखराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी चक 67 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. लीलादेवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी माडुराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी बारेंका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. उदी देवी पुत्री लालू उर्फ लालीया पत्नी ना.मालूम निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
10. उप पंजीयक सूरतगढ़।

.....**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत 88, 188, 207, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकद्मा न0 98 वर्ष 2011 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट एवं अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 6 व 8 सुभाषचन्द्र एडवोकेट व राज पैरोकार नायब तहसीलदार सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण खारीज किया जाता है।

नोज..... ..... मुबलिग..... ..... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह ....फसदों की पालना..... .....

आज की तारख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें ।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 31/08/2020 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:58:32 IST
Reason: SelfAttested

मनोज कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़